

परसनैलटी राईट

प्रलिमिंस के लिये:

परसनैलटी राईट, अनुच्छेद 21, नजिता का अधिकार

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी भी बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि और आवाज़ के अवैध उपयोग को रोकने के लिये एक अंतरिम आदेश पारित किया।

- न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अभिनिता के परसनैलटी राईट का उल्लंघन करने से रोक दिया है।

परसनैलटी राईट (Personality Rights)

- व्यक्तित्व अधिकार एक व्यक्ति के नजिता या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार को संदर्भित करता है।
- ये अधिकार मशहूर हस्तियों के लिये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कंपनियाँ अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न वजिआपनों में उनके नाम, फोटो/छवि या यहाँ तक कि आवाज़ का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।
- इसलिये अपने परसनैलटी राईट की रक्षा के लिये प्रसिद्ध व्यक्तित्वों / मशहूर हस्तियों के लिये अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक है।
- अद्वितीय व्यक्तित्व विशेषताओं की एक बड़ी सूची एक सेलब्रिटी के निर्माण में योगदान करती है। इन सभी विशेषताओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जैसे नाम, उपनाम, मंच का नाम, चरित्र, समानता, छवि और कोई पहचान योग्य व्यक्तित्व संपत्ति, जैसे कि एक वशिष्ट रेस कार।

प्रचार अधिकार और व्यक्तित्व अधिकार के बीच अंतर:

- परसनैलटी राईट में दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं:
 - पहला:** प्रचार का अधिकार या बिना किसी अनुमति या बिना संवदितमक मुआवज़े के छवि और व्यक्तित्व को व्यावसायिक रूप से शोषण से बचाने का अधिकार, यह वास्तव में ट्रेडमार्क के उपयोग के जैसा (लेकिन समान नहीं) है।
 - दूसरा:** नजिता का अधिकार या किसी के व्यक्तित्व को बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार।
- हालाँकि सामान्य कानून न्यायालयों के तहत, प्रचार अधिकार 'पासगि ऑफ' के दायरे में आते हैं।
 - पासगि ऑफ तब होता है जब कोई जानबूझकर या अनजाने में अपने सामान या सेवाओं को किसी अन्य पार्टी से संबंधित लोगों को पास किया जाता है।
 - अक्सर, इस प्रकार की गलत बयानी किसी व्यक्ति या व्यवसाय की सद्भावना को नुकसान पहुँचाती है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय प्रतर्षिता को नुकसान होता है।

भारत में परसनैलटी राईट:

- परसनैलटी राईट की रक्षा के लिये भारत के संविधान में **अनुच्छेद 21** है जो गोपनीयता और नजिता के अधिकार से संबंधित है।
- परसनैलटी राईट की रक्षा करने वाले अन्य वैधानिक प्रावधानों में **कॉपीराइट अधिनियम, 1957** शामिल है।
- अधिनियम के अनुसार, नैतिक अधिकार केवल लेखकों और कलाकारों को दिये जाते हैं, जिनमें अभिनिता, गायक, संगीतकार और नर्तक शामिल हैं।
 - अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि लेखकों या कलाकारों को अपने काम का श्रेय देने या लेखकत्व का दावा करने का अधिकार है और दूसरों को अपने काम को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने से रोकने का भी अधिकार है।

- भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 भी धारा 14 के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, जो व्यक्तिगत नामों और अभ्यावेदनों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड केस (2011) में अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि वास्तविकता की तुलना में इंटरनेट पर अलग नहीं होगी।
 - अदालत ने यह भी कहा था कि यह नाम उस श्रेणी में भी आता है जिसमें एक व्यक्तिगत नाम होने के अलावा इसने अपनी खुद की विशिष्ट विशेषता भी प्राप्त की है।

उपभोक्ता अधिकारों के विषय में:

- यह बताया गया है कि मशहूर हस्तियों या उनके नाम को व्यावसायिक दुरुपयोग से संरक्षण प्राप्त है, परंतु मशहूर हस्तियों द्वारा झूठे वजिजापन और उत्पाद अथवा सेवाओं के समर्थन उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।
- ऐसे मामलों के कारण, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2022 में भ्रामक वजिजापनों और उपभोक्ता उत्पादों के समर्थन पर रोक लगाने के लिये प्रचारक पर जुर्माना संबंधी एक अधिसूचना जारी की है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न

प्रश्न 1. 'नजिता का अधिकार' भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? (2021)

- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न 2: नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)

- अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।
- अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व।
- अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।
- अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: c

स्रोत: द हिंदू